न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

RAAJodhpur2020-00023RTA223 2020-06Pukhraj etc Vs Thanaram n ors

1. खैरदीन पुत्र सुमरे खाँ
2. जीवणी पत्नी कमरदीन
3. अलादीन पुत्र कमरदीन
4. जलाल पुत्र सुमरे खाँ
5. सत्तार खाँ पुत्र जलाल खाँ
6. सलाम खाँ पुत्र जलाल खाँ
7. सदीक पुत्र जलाल खाँ
8. जमीयत पत्नी कुतुबदीन,

सभी जाति मुसलमान, निवासी गाँव देदासरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. हासम खाँ पुत्र बीकायत खाँह
2. दिलबर पुत्र बीकायत खाँ
3. जमालदीन पुत्र बीकायत खाँ
4. इक्तयार खाँ पुत्र बीकायत खाँ

सभी जाति मुसलमान, निवासी गाँव देदासरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला जोधपुर
6. सखी मोहम्मद पुत्र नब्बे खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम बेंगटी खुर्द तहसील फलोदी जिला जोधपूर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 01 मार्च 2011 राजस्व मूल वाद संख्या 208/2009 हासम खाँ वगैरह बनाम खेरदीन इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या छः
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या पांच
रेस्पोडेंट संख्या एक से चार बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 20 अक्टू. 2020

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 208/2009 हासम खाँ व अन्य बनाम खेरदीन इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 03 मार्च 2009 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील दिनांक 23 जनवरी 2020 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा- 53, 188 व 91-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम देदासरी तहसील फलोदी (वर्तमान तहसील बाप) में खसरा नं. 39/354 रकबा 200 बीघा भूमि प्रत्यर्थीगण एवं अपीलार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आयी हुई है। मूल खसरा नं. 39 रकबा 599 बीघा 18 बिस्वा आयी थी, जिसमें से जलिया पुत्र निहाल खाँ ने 200 बीघा भूमि प्रत्यर्थीगण एवं अपीलार्थीगण को बख्शीश कर दी, जिसमें से प्रत्यर्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा मूल प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा बँट में आता है। प्रत्यर्थीगण के कब्जे काश्त वाली भूमि के आस पड़ोस के अुनसार सड़क वाले हिस्से पर कब्जा काश्त है तथा पीछे तरफ अपीलार्थीगण का कब्जा है। दिनांक 08.10.2009 को अपीलार्थीगण ने धमकी दी कि वे प्रत्यर्थीगण की भूमि पर कब्जा काश्त कर लेंगे, जिस पर वाद प्रस्तुत कर बँटवाड़े व स्थाई निषेधाज्ञा की माँग की। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस सम्यक् रूप सें

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तामील नहीं होने के बावजूद अपीलार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 21.04.2010 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रत्यर्थीगण द्वारा गवाहान् प्रस्तुत किये गये तथा दिनांक 01.03.2011 को वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया, जिसके तहत जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव मँगवाया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया जिस पर दिनांक 17.03.2011 को अंतिम निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थीगण को निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होने पर दिनांक 18.03.2011 को आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये व डिक्री की पालना रोके जाने का आदेश पारित किया गया, तत्पश्चात् पत्रावली को सहायक कलक्टर बाप के न्यायालय को स्थानांतरित किया गया। दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 27.02.2018 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया लेकिन सीधा ही विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने का आदेश पारित कर दिया तथा पत्रावली विभाजन प्रस्ताव के इन्तजार में लंबित रखी गई लेकिन प्राथमिक डिक्री को यथावत रखा गया तथा अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 10.02.2020 को आगामी तारीख दी गयी होने के कारण तथा प्रकरण में पेचिदगियाँ उत्पन्न हो जाने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 01.03.2011 के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील पेश की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि पदर्श -1 जमाबंदी के अनुसार विवादित भूमि सह खातेदारी की भूमि है जिसमें किसी भी पक्षकार के हिस्से नहीं खोले गये है तथा हिस्सों के अभाव में बिना घोषणा के बंटवाड़े का वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण द्वारा बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया था जबकि विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड मे हिस्से दर्ज नहीं होने के कारण बंटवाड़े का वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है तथा जमाबंदी के अुनसार हिस्सों के बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगणय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को स्वीकार किया है तथा सीधे ही बंटवाड़ा मँगवाये जाने का आदेश पारित किया है, जिससे भी साबित होता है कि अपीलार्थीगण पर तामील विधि अनुसार नहीं हुई है। अपीलार्थीगण द्वारा तामील सम्यक् रूप से नही करवायी गई है, जिस कारण अपीलार्थीगण अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में नही रख सके है। जिससे अपीलार्थीगण के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का हनन हुआ है।

म्याद के बिंदु पर अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के उपर सम्यक रूप से तामील नहीं करवायी गई तथा दिनांक 17.03.2011 को अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित की है। उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होने पर 18.03.2011 को आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये व डिक्री की पालना रोके जाने का आदेश पारित किया गया, तत्पश्चात् पत्रावली को सहायक कलक्टर बाप को स्थानांतरित किया गया। दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 27.02.2018 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, लेकिन सीध ही विभाजन प्रस्ताव के इन्तजार में लंबित रखी गई लेकिन प्राथमिक डिक्री को यथावत रखा गया तथा अधीनस्थ न्यायालय में आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.02.2020 की दी गयी होने के कारण तथा प्रकरण में पेचिदगियॉ उत्पन्न हो जाने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिसकें संबंध में म्याद का बिंदु लागू नहीं होता है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं डिक्री दिनांक 01.03.2011 को अपास्त व निरस्त किये जाने का आदेश पारित फरमावें।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि रेस्पो. संख्या 2 से 4 द्वारा दिनांक 21.03.2012 को विवादग्रस्त भूमि में अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 6 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये कर दिया है। अतः रेस्पोडेंट संख्या 6 का राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के स्थान पर नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश फरमावें तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावें ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का गम्भीरतापूर्वक आद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत अभिलेख के आलोक में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पूर्व में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.03.2011 के संदर्भ में विचार न कर उक्त प्राथमिक डिक्री की ही पालना में तहसीलदार बाप से विभाजन प्रस्ताव पुनः तैयार कर भिजवाने के आदेश पारित किये है, जबकि पत्रावली के सलंग्न जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 (प्रदर्श-1) के मुताबिक **पक्षकारों के हिस्से खुले होकर अंकित नहीं है।** पक्षकारान् के हिस्से खुले होकर अंकित नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय/प्राथमिक डिक्री की पालना अंसम्भव प्रतीत होती है। अपीलार्थीगण की विचारण न्यायालय में तामील के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 पर पारित आदेश से प्रतीत होता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स पर वाद-विचारण के समय सम्यक् रूप से तामील नहीं हुई। उक्त परिप्रेक्ष्य में अपील को अंशतः स्वीकार किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट्स अन्दर ग्याद शुमार करते हुए आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01 मार्च 2011 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय/प्राथमिक डिक्री नये सिरे से पारित करें।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/IX/2022

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर